न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडराराड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार –।

राजस्व आवेदन सं. 18 / 2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
उतमाराम पुत्र अमोलखराम, जाति–भील, नि0 आचाराणियों की ढाणी (अगासडी) तह0 गडरारोड़		1. राजस्थान तहसीलदार गडरारोड़। 2. गणपतसिंह पुत्र स्वरूपसिंह जाति– राजपूत, नि0 हरसाणी, तह0 गडरारोड़ 3. जगदीश पुत्र अजीता 4. दयाराम पुत्र अजीता 5. हाजरा पत्नी अजीता 6. कानाराम पुत्र अजीता 7. रूपा पुत्र नेहचल 8. सखर खां पुत्र अब्दुला खां जाति–मुसलमान, नि0 सोलंकियों की बस्ती तह0 गडरारोड़ 9. हनीफ खां पुत्र मिठु खां जाति–मुसलमान, नि0 मखण का पार, तह0 गडरारोड़ 10. नन्द किशोर पुत्र शंकरलाल जाति–मेघवाल नि0 अम्बेडकर नगर तह0 गडरारोड़ 11. जगतसिंह पुत्र मूलसिंह, जाति– राजपूत, नि0 तुडबी तह0 गडरारोड़ 12. दीपाराम पुत्र प्रभुलाल, जाति–सुनार, नि0 हरसाणी, तह0 गडरारोड़ 13. जयसिंह पुत्र हीरसिंह 14. अशोक सिंह पुत्र हीरसिंह 15. श्रवणसिंह पुत्र हीरसिंह, जाति–रावणा राजपुत, नि0 गोरडिया, तह0 गडरारोड़

उपस्थित :– 1. श्री ईश्वरसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. राज पेरोकार तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 1

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट

–: आदेश:–

दिनांक : –30/12/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा–गडरारोड़, पटवार मण्डल–गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 234 / 62 रकबा 0.1295 हैक्टेयर की आयी हुई है। विप्रार्थी संख्या 2 से 12 की भूमि प्रार्थी की भूमि के पडौस मे खसरा नम्बर 678 / 62, 756 / 62, 709 / 62, 62, 679 / 62 की आयी हुई है। विप्रार्थी [illegible] से 12 एवं प्रार्थी के खसरा के मध्य पूर्व में तरमीम अंकित थी जो पूर्व खातेदार एवं [illegible] संख्या 2 से 12 के मध्य हुए सहमति विभाजन 39 / 2012 दिनांक 09.10.2012 की [illegible] में की गई थी। प्रार्थी द्वारा जब खसरा नम्बर 234 / 62 की भूमि क्रय की गई [illegible] वक्त उक्त खसरो के मध्य सही तरमीम अंकित थी लेकिन विप्रार्थी संख्या 10 द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाये बिना और राजस्व रेकर्ड की जांच किये बिना पक्का निर्माण करवा दिया जिससें पक्षकारान् के मौके पर कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड में भारी भिन्नता उत्पन्न हो गई। इसलिये प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन तरमीम दुरस्ती का पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:55 IST
Reason: Self Attested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी संख्या 01 से 15 के नोटिस जरिये रजिस्टड डाक से प्राप्त के बावजूद अनु0। अतः विप्रार्थी सख्या 02 से 15 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार गडरारोड़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिर्पोट के अनुसार मौजा–गडरारोड़, पटवार मण्डल– गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 234/62 रकबा 0.1295 हैक्टेयर किस्म बा.चा. की मौके पर खातेदार का कब्जा तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज तरमीम में भिन्नता है। उक्त खसरे की मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति मौका रिपोर्ट के संलग्न **परिशिष्ठ–अ** अनुसार दर्शायी गई है तथा वर्तमान लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन मे दर्ज तरमीम को संलग्न **परिशिष्ठ–ब** अनुसार दर्शायी गई है। मौका रिपोर्ट के संलग्न **परिशिष्ठ–अ** अनुसार दुरस्त किया जाना उचित है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उभय पक्ष तरमीम दुरूस्त करवाने बाबत् सहमत है। मौका फर्द के संलग्न **परिशिष्ठ अ** अनुसार उभय पक्ष मौके पर काबिज है एवं इसी अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने पर उभय पक्ष सहमत भी है। मौके पर कब्जा काश्त एवं नक्शा ट्रेस में विद्यमान वर्तमान तरमीम एक दुसरे के विपरीत है। अतः मौके पर कब्जा काश्त एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में एकरूपता बनायें रखने के लिए तहसीलदार गडरारोड़ से प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़, जिला ...

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा–गडरारोड़, पटवार मण्डल–गडरारोड़, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 234/62 रकबा 0.1295 हैक्टेयर के लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम व खसरा नम्बर 678/62, 756/62, 709/62, 679/62 की भूमि के लठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में कि हुई तरमिम को निरस्त करते हुए तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न **परिशिष्ट अ** नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक कोर्ट/2025/1667 ... 15.10.2025 के संलग्न नक्शा **परिशिष्ट अ** इस आदेश का अंभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:18:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

आदेश आज दिनांक 30.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़
उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड (बाड़मेर)